जनसंपर्क संचालनालय

मध्य प्रदेश शासन

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त, 2017

क्रमांक ए 1-2/2017/जसंसं/स्था./ 6004 /मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा समूह-4 के अंतर्गत आयोजित संयुक्त भर्ती परीक्षा-2016 के माध्यम से चयनित निम्नांकित आवेदकों को **नियमित संचार सहायक ग्रेड-तीन के पद वेतनमान 5200-20200+ग्रेड पे-2400** में अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाकर अन्य आदेश पर्यन्त कॉलम 4 में दर्शाये गये कार्यालय में पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	आवेदक का नाम	वर्ग	पदस्थापना
1	2	3	4
1.	श्री कार्तिक साहू, पुत्र श्री मोहन लाल साहू, **जिला भोपाल**	**ओबीसी (अनारक्षित में चयनित)**	जिला जनसंपर्क कार्यालय, देवास
2.	श्री आशीष पाटीदार, पुत्र श्री चतुर्भुज पाटीदार **जिला शाजापुर**	**ओबीसी (अनारक्षित में चयनित)**	जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल
3.	श्री कृष्णकांत यादव, पुत्र श्री मोहन यादव **जिला धार**	**ओबीसी (अनारक्षित में चयनित)**	जिला जनसंपर्क कार्यालय, मंदसौर
4.	श्री विजय कुमार सुर्यवंशी, पुत्र श्री घूड़नलाल सुर्यवंशी **जिला सिवनी**	**ओबीसी (अनारक्षित में चयनित)**	जिला जनसंपर्क कार्यालय, कटनी
5.	कु. भावना भागवानी, पुत्री श्री हरीशचंद्र भागवानी **जिला टीकमगढ़**	**अनारक्षित**	जिला जनसंपर्क कार्यालय, छतरपुर
6.	श्री अखिल परस्ते, पुत्र श्री राम कुमार गोंड जिला दमोह	**अ.ज.जा.**	जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल
7.	कु. शुभांगीनी सोनी, पुत्री श्री निरोत्तम सोनी जिला सिवनी	ओबीसी (अस्थि बाधित)	जिला जनसंपर्क कार्यालय, छिन्दवाड़ा

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

1. कि वे सेवा शर्तों के उन परिवर्तनों से बाध्य होंगे, जिन्हें शासन समय-समय पर परिवर्तन करना उचित समझे उदाहरणार्थः- अवकाश नियम,पेंशन नियम आदि में परिवर्तन ।
2. कि उन्हें संचालनालय के अधीनस्थ किसी भी कार्यालय में पदस्थ किया जा सकेगा ।
3. कि उनकी नियुक्ति विशुद्धतः अस्थाई होगी तथा किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का लिखित नोटिस अथवा उसके बदले एक माह के वेतन भत्ते देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पूर्व अथवा बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति के दिनांक से ही बिना नोटिस दिये शासकीय सेवा छोड़ दी है। उन्हें एक माह अथवा नोटिस अवधि में जितनी अवधि कम हो उतनी अवधि के वेतन भत्तों का भुगतान करना होगा।
4. कि राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली का प्रावधान है। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाए जाएं और उन्हें लागू किया जाए, के अध्यधीन रहेंगे।
5. कि नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करते समय पदस्थापना के जिला मुख्यालय के मेडीकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. कि चरित्र सत्यापन हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पदस्थापना कार्यालय के माध्यम से जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल को भेजना होगा । नियुक्ति के पश्चात् यदि यह पाया जाता है कि संबंधित व्यक्ति शासकीय सेवा में रखे जाने योग्य नही है, तो उसे दी गई नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।
7. कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम-6 के उपनियम(6) जिसमें प्रावधान है कि कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक संतान जीवित होने पर एक का जन्म यदि 26.01.2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, तो किसी भी शासकीय सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये अपात्र माना जावेगा।
8. कि उनके द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र, कोई भी अभिलेख/तथ्य असत्य पाए जाने तथा प्रमाणित होने पर दी गई नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
9. **कि नियुक्त कर्मचारी दो वर्ष तक परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त रहेंगे । इस अवधि में पद के वेतनमान का न्यूनतम मूल वेतन प्राप्त होगा। परिवीक्षा अवधि वेतनवृद्धि के लिए मान्य नहीं होगी।**
10. कि मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ-8/2009/नियम/चार भोपाल दिनांक 20 अगस्त,2009 में दिये गये प्रावधानों के तहत संचार सहायक ग्रेड-तीन के लिये वेतन बेण्ड 5200-20200 में इनका वेतन कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को रूपये **7440/-ग्रेड-पे-2400/**-निर्धारित होगा।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ महिला आरक्षण के संबंध में राज्य शासन के प्रावधानों /आदेशों का पालन किया गया है तथा संबंधित संवर्ग के लिए निर्धारित/संधारित रोस्टर में संबंधित वर्ग के अन्तर्गत रिक्त बिन्दु पर प्रविष्टि की गई।

(अनुपम राजन)

आयुक्त, जनसंपर्क

पृ.क्रमांक ए 1-2/2017/जसंसं/स्था./ 6005 भोपाल, दिनांक 30 अगस्त, 2017

प्रतिलिपिः-

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
2. अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
3. नियन्त्रक, मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, चयन भवन, चिनार पार्क (ईस्ट) भोपाल ।
4. स्टेनो, आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, मुख्यालय भोपाल ।
5. समस्त अपर संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, मुख्यालय भोपाल ।
6. संयुक्त/सहायक संचालक, लेखा, जनसंपर्क संचालनालय, मुख्यालय भोपाल ।
7. संयुक्त/उप संचालक, संभागीय जनसंपर्क कार्यालय, उज्जैन/सागर/जबलपुर ।
8. उप/सहायक संचालक/सहायक जनसंपर्क अधिकारी/ जिला जनसंपर्क कार्यालय, देवास/मंदसौर/कटनी/छतरपुर/ छिन्दवाड़ा को सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कर्मचारी के कार्यभार ग्रहण की तिथि से मुख्यालय को अवगत करायें एवं सम्बन्धित के सेवा अभिलेख भी तैयार करवायें ।
9. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय भोपाल।
10. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, देवास/मंदसौर/ कटनी/छतरपुर/छिन्दवाड़ा।
11. सहायक संचालक/ संबंधित संहायक/स्थापना/गोपनीय कक्ष/अवकाश/लेखा (जीपीएफ,जी.आई.एस, परिवार कल्याण निधि, वेतन,बजट) जनसंपर्क संचालनालय, मुख्यालय भोपाल ।
12. अध्यक्ष, विभागीय तृतीय कर्मचारी समिति, जनसंपर्क संचालनालय, मुख्यालय, भोपाल।
13. प्रभारी अधिकारी, सेन्ट्रल सर्वर, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल।
14. श्री कार्तिक साहू, पुत्र श्री मोहन लाल साहू, म.न. 47 रूप नगर कालोनी, भानपुर रोड़, जिला भोपाल की ओर रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित। **कृपया 15 दिवस में संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा ।**
15. श्री आशीष पाटीदार, पुत्र श्री चतुर्भुज पाटीदार, म.न. 51 पाटीदार मोहल्ला रिछड़ी कालापीपल, जिला शाजापुर की ओर रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित। **कृपया 15 दिवस में संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा ।**
16. श्री कृष्णकांत यादव पुत्र श्री मोहन यादव, म.न. 446 पलासिया रोड़ गुलझरा धामनोद धरमपुरी, जिला धार की ओर रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित। **कृपया 15 दिवस में संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा ।**
17. श्री विजय कुमार सुर्यवंशी, पुत्र श्री घूड़नलाल सुर्यवंशी, म.न. 249 साल्हेर खुर्द गांधी चौक बरघाट, जिला, सिवनी की ओर रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित। **कृपया 15 दिवस में संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा ।**
18. कु. भावना भागवानी, पुत्री श्री हरीश चंद्र भागवानी, पुलिस कन्ट्रोल रोम के सामने, सिविल लाईन, जिला टीकमगढ़ की ओर रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित। **कृपया 15 दिवस में संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।**
19. श्री अखिल परस्ते, पुत्र श्री राम कुमार गोंड, म.न. 267 अमचुपुरा जबलपुर नाका, जिला दमोह की ओर रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित। **कृपया 15 दिवस में संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।**
20. कु. शुभांगीनी सोनी, पुत्री श्री निरोत्तम सोनी, गांधी वार्ड नं. 12 बी- साईड जगदीश मंदिर, जिला सिवनी की ओर रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित। **कृपया 15 दिवस में संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।**
21. स्टाक/रिकार्ड।

(अनिल माथुर)
संचालक, जनसंपर्क